स्पाइसेस बोर्ड
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
सुगंध भवन, पालारिवट्टम
कोच्ची-25, केरल

सं. : विपणन-म.पा./सामान्य/0001/2021 **13 सितंबर, 2021**

<u>मसाला पार्कों में निर्मित क्षेत्र के पट्टे पर देने हेतु बोलियाँ आमंत्रित की जाती है</u>

बोर्ड ने मसालों के प्रमुख उत्पादन/विपणन केंद्रों में मसाला पार्कों की स्थापना की है। पार्क को सड़क, नालियों, निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति, कैंटीन, बैंकिंग आदि सहित सामान्य बुनियादी सुविधाओं के साथ एक स्व-निहित एन्क्लेव के रूप में विकसित किया गया है। अब बोर्ड निम्नलिखित मसाला पार्कों में उपलब्ध स्थानों पर कब्जा करने के लिए तैयार निर्मित क्षेत्र को एटीएम सुविधा के साथ बैंक काउंटर स्थापित करने, कैंटीन सुविधा चलाने, कृषि/खाद्य उत्पादों के परीक्षण करने, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला स्थापित करने, गोदाम संचालकों आदि के लिए पट्टे पर देने हेतु समर्थक सेवा प्रदाताओं से प्रतिस्पर्धी बोलियां आमंत्रित करता है।

विभिन्न स्पाइसेस पार्कों में स्थापित निर्मित क्षेत्र और सुविधाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	मसाला पार्क का स्थान	पट्टा/किराया पर देनेकेलिए उपलब्ध जगह/सुविधाएं	अनुमानित क्षेत्र और आयाम(मीटर)
1	राय बरेली, उत्तर प्रदेश	कब्जा के लिए तैयार माल-गोदाम सुविधा	माल-गोदाम-5600 वर्ग फीट
		कब्जा के लिए तैयार निर्मित क्षेत्र - एटीएम सुविधा के साथ बैंक काउंटर स्थापित करने केलिए	सड़क के किनारेवाला मकान - 500 वर्ग फीट
		कब्जा के लिए तैयार निर्मित क्षेत्र - कैंटीन/रेस्तरां सुविधा स्थापित करने हेतु	800 वर्ग फीट की मकान
		कब्जा के लिए तैयार निर्मित क्षेत्र - निर्यात आदि से संबंधित कार्यालय कमोडिटी एक्सचेंज/प्रमाणीकरण एजेंसी	2500 वर्ग फीट की मकान

		की स्थापना के लिए	
2	जोधपुर, राजस्थान	कब्जा के लिए तैयार माल-गोदाम सुविधा	माल-गोदाम-7500 वर्ग फीट
		कब्जा के लिए तैयार निर्मित क्षेत्र - एटीएम सुविधा के साथ बैंक काउंटर स्थापित करने केलिए	निर्मित क्षेत्र - 700-900 वर्ग फीट
		कब्जा के लिए तैयार निर्मित क्षेत्र - कृषि/खाद्य उत्पादों के परीक्षण केलिए प्रयोगशाला सुविधा स्थापित करने हेतु	निर्मित क्षेत्र - 900-1400 वर्ग फीट
		कब्जा के लिए तैयार निर्मित क्षेत्र - कैंटीन/रेस्तरां सुविधा स्थापित करने हेतु	निर्मित क्षेत्र - 2000 वर्ग फीट
		कब्जा के लिए तैयार निर्मित क्षेत्र - निर्यात आदि से संबंधित कार्यालय कमोडिटी एक्सचेंज/प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना के लिए	निर्मित क्षेत्र - 650 वर्ग फीट
3	गुना- मध्य प्रदेश	कब्जा के लिए तैयार निर्मित क्षेत्र - एटीएम सुविधा के साथ बैंक काउंटर स्थापित करने केलिए	निर्मित क्षेत्र - 2200 वर्ग फीट
		कब्जा के लिए तैयार निर्मित क्षेत्र - कैंटीन/रेस्तरां सुविधा स्थापित करने हेतु	निर्मित क्षेत्र - 3000 वर्ग फीट
4	शिवगंगा - तमिल नाडु	कब्जा के लिए तैयार निर्मित क्षेत्र - एटीएम सुविधा के साथ बैंक काउंटर स्थापित करने केलिए	निर्मित क्षेत्र - 450 वर्ग फीट

* ईटीपी प्रणाली की स्थापना के मामले में, इच्छुक एजेंसियां/फर्म भी इसके लिए अपनी इच्छा प्रस्तुत कर सकते हैं। ईटीपी प्रणाली की स्थापना के लिए निबंधन व शर्तों पर बोली पूर्व बैठक में चर्चा की जाएगी और अंतिम रूप दिया जाएगा। चयनित एजेंसी को पार्क में स्थापित मसाला प्रसंस्करण इकाइयों

के उपयोग के लिए एक सामान्य सुविधा के रूप में ईटीपी प्रणाली स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। उपयोगकर्ता शुल्क बोर्ड द्वारा एजेंसी और पार्क के उपयोगकर्ताओं के परामर्श से तय किया जाएगा। प्रणाली स्थापित करने के लिए एजेंसी को 1000 से 2000 वर्ग मीटर भूमि 15 वर्ष तक की लंबी लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी।

सुविधाएं भाड़े पर देने केलिए निबंधन व शर्तें :

1. सुविधाएं 'जैसे है जहां है' की स्थिति में किराए पर दिया जाएगा।
2. सुविधाएं, करार के निष्पादन की तारीख से पाँच वर्ष तक की अवधि केलिए पट्टे पर दी जाएगी, जिसे पारस्परिक रूप से सहमत अवधि पर वर्ष-वार तक बढ़ाया जा सकता है।
3. किराया, प्रति वर्ष **पाँच** प्रतिशत की दर पर बढाया जाएगा।
4. स्पाइसेस बोर्ड, अनुपात के अनुसार अदायगी आधार पर पानी व बिजली प्रदान करेगा।.
5. सुविधाएं, उस आवेदक को किराए पर दी जाएगी, जिसने प्रति माह सबसे अधिक राशि कोट की है।
6. बोर्ड से प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों भीतर उच्चतम बोलीदाता, बोर्ड के साथ एक करार बनाएगा।
7. उच्चतम बोलीदाता, सचिव, स्पाइसेस बोर्ड के नाम पर लिए डिमांड ड्राफ्ट या स्पाइसेस बोर्ड के नाम पर बोर्ड के प्राप्ति खाते में ऑनलाइन बैंक अंतरण के रूप में या तीन महीनों केलिए समतुल्य ब्याज रहित सुरक्षा जमा का भुगतान करेगा या पट्टा अवधि की समाप्ति तक केलिए वैध स्पाइसेस बोर्ड के नाम राष्ट्रीकृत या अनुसूचित बैंक से लिए बैंक गैरंटी जमा करेगा। बोर्ड को सुविधाएं हस्तांतरित करते समय सुरक्षा जमा/बैंक गारंटी वापस की जाएगी। सुरक्षा जमा करार के साथ भेजना होगा।
8. उच्चतम बोलीदाता करार की तारीख से 15 दिनों के भीतर और सुरक्षा जमा की प्राप्ति के बाद माल-गोदाम का कब्जा ले लेंगे। यदि करार की तारीख से 15 दिनों के भीतर कब्जा नहीं लिया जाता है, तो ईएमडी जब्त कर दी जाएगी। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस की जाएगी।
9. आगामी महीने की पांच तारीख को या उससे पहले स्पाइसेस बोर्ड को 18 प्रतिशत जी एस टी सहित मासिक किराये का भुगतान किया जाएगा।
10. सुविधाएं किसी अन्य फ़र्म केलिए उप-किराए पर नहीं दी जाएगी ।
11. बोर्ड किसी भी / सभी बोलियों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने / रद्द करने का अधिकार रखता है ।

12. जो भी इच्छुक है, वे, सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9.00 से सायं 5.30 बजे के बीच सुविधाओं का दौरा कर सकते हैं। इसकेलिए मसाला पार्कों के प्रभारी अधिकारी, जिनका संपर्क विवरण नीचे दिया गया है, से संपर्क करें।
13. यदि सुविधाओं का लगातार तीन महीने से अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जाता है, तो बोर्ड पट्टा-करार को समाप्त कर देगा।
14. बयाना राशी लागू नहीं हैं। हालांकि, बोलीदाताओं को अनुलग्नक-2 में दिए निर्दिष्ट फॉर्मेट के अनुसार बोली सुरक्षा घोषणा प्रस्तुत करना है ।

मसाला पार्क का नाम	संपर्क व्यक्ति व मसाला पार्क का पता
मसाला पार्क, राय बरेली, उत्तर प्रदेश	श्री संदीप सिंह यादव प्रभारी अधिकारी स्पाइसेस बोर्ड कंशी राम आवास रोड, प्राइवेट बस अड्डे के पास, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश - 225001 टेली.:7869290106 spicesboardrbly@gmail.com
मसाला पार्क, जोधपुर राजस्थान	श्री एम वाई होन्नूर मसाला पार्क मथानिया रोड, रामपुरा भाटियाँ जोधपुर, राजस्थान - 342024 मोब.:09449047596 spicesboardju@gmail.com
मसाला पार्क , गुना, मध्य प्रदेश	श्री भरत अर्जुन गुडाडे, वैज्ञानिक प्रभारी अधिकारी मसाला पार्क , मावान पीओ गुना, मध्य प्रदेश-473001 9415312330 मेइल:spicesboardguna@gmail.com

मसाला पार्क, शिवगंगा, तमिल नाडु	श्री पी. बोस प्रभारी अधिकारी स्पाइसेस बोर्ड, मसाला पार्क शिवगंगा, तमिल नाडु, मोब.: 6268040105/8815279781/7440520245 इ-मेइल: spicesparksivaganga@gmail.com

अन्य निबंधन

1. बयाना राशी लागू नहीं हैं। हालांकि, बोलीदाताओं को अनुलग्नक-2 में दिए निर्दिष्ट फॉर्मेट के अनुसार बोली सुरक्षा घोषणा प्रस्तुत करना है ।
2. बोलियाँ अनुलग्नक-1 में दिए फॉर्मेट के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए
3. बोली, "मसाला पार्क, ... (मसाला पार्क का स्थान) की .... (सुविधा का नाम) केलिए बोली" ऐसा ऊपर लिखे मुहरबंद लिफाफे में, प्रभारी अधिकारी को संबोधित करते हुए उपरोक्त सूचित अनुसार संबंधित मसाला पार्क के पते पर भेजें ताकि **04-10-2021 को सायं 5.00 बजे** को या उससे पहले पहुँच जाएँ।
4. बोलियाँ, संबंधित मसाला पार्कों में **05-10-2021को सुबह 11.00 बजे** बोलीदाताओं की मौजूदगी में खोली जाएगी।

स्थान: कोच्ची
तारीख : 13.09.2021

निदेशक(विपणन)

अनुलग्नक -1

सुविधा पट्टे पर देने हेतु बोली की प्रस्तुति केलिए फॉर्मेट
(प्रत्येक मसाला पार्क केलिए अलग-अलग आवेदन अपेक्षित है)

1	सुविधा का नाम जिसका लाभ उठाया जाना है	1. बैंक की स्थापना केलिए जगह 2. प्रयोगशाला की स्थापना हेतु जगह 3. कार्यालय की स्थापना हेतु जगह 4. कैंटीन चलाने हेतु 5. माल-गोदाम का संचालन (अपेक्षित सुविधा पर टिक करें)
2	पार्क का नाम जिसमें सुविधा की अपेकषा है	
2	टेलीफोन नंबर एवं इ-मेइल आईडी के साथ आवेदक का नाम व पता /बैंक/कार्यालय	
3	संपर्क व्यक्ति का विवरण, दूरभाष संख्या और ईमेल आईडी	
4	आवेदक का पैन नंबर /बैंक /प्राधिकरण	
5	जीएसटी पंजीकरण का विवरण	
6	कोट किया गया मासिक किराया	कोट किया हुआ मूल राशि: ..../- रु. जीएसटी @ 18% ..../- रु. कुल मासिक राशि ..../- रुपए

स्थान
दिनांक:

(हस्ताक्षर)
व्यक्ति का नाम:
पदनाम

(मोहर)

अनुबंध - 2

(फर्म के पत्रशीर्ष में)

बोली-सुरक्षा घोषणा

निदेशक(विपणन)
स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन
एन.एच. बैपास
पालारिवट्टम, कोच्ची
केरल - 682025

संदर्भ :

स्पाइसेस बोर्ड के .... केलिए निविदा सूचना
मसाला पार्क, ... में .... सुविधा हेतु हमारी निविदा
दिनांक ....

मैं/हम, …................................…. अविकल्प रूप से निम्नानुसार घोषित करता/करती/करते हूँ/हैं :
मैं/हम समझता/समझती/समझते हूँ/हैं कि, निविदा के खंड के अनुसार, बयाना राशि जमा (ईएमडी) के बदले बोलियों को, एक बोली सुरक्षा घोषणा द्वारा समर्थित होना चाहिए।
मैं/हम एतद्द्वारा स्वीकार करता/करती/करते हैं कि मुझे/हमें, आपके साथ किसी भी संविदा हेतु बोली लगाने से अयोग्य किया जा सकता है, जो अयोग्यता की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी, जैसा कि आपके द्वारा अधिसूचित किया जाता है (किसी नुकसान के दावा करने के स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले या अन्य कानूनी सहारा के बिना) यदि,

1) मैं/हम बोली शर्तों के तहत किसी भी दायित्व का उल्लंघन कर रहा/रही/रहे हूँ/हैं;
2) मैंने/हमने बोली या विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के रूप में निर्दिष्ट बोली वैधता अवधि के दौरान मेरी/हमारी बोली को वापस ले लिया है या एकतरफा रूप से आशोधित/संशोधित/पुनरीक्षित कर दिया है;
3) स्पाइसेस बोर्ड द्वारा हमारी बोली की स्वीकृति पर, मैं/हम निर्धारित सुरक्षा निक्षेप जमा करने में विफल रहा/रही/रहे या समझौते को निष्पादित करने में विफल रहा/रही/रहे या निबंधन व शर्तों के अनुसार और निर्दिष्ट समय के भीतर कार्य के निष्पादन को शुरू करने में विफल रहा/रही/रहे;

हस्ताक्षर :
बोली-सुरक्षा घोषणा में हस्ताक्षर करने केलिए
प्राधिकृत व्यक्ति का नाम व पदनाम

दिनांक वर्ष ___________ के ________ महीने के ___________ दिन को ।